

प्रपत्र-46

परियोजना का नाम-

उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर, देहरादून) के किमी0 104.00 से 149.00 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 24.1884 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

सड़क मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य

क्र0सं0	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	दर (रू0 में)	प्रति	ईकाई	कुल लागत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	रोड साईड पथ वृक्षारोपण प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1459/3-5-2, दिनांक 01.01.2021 द्वारा प्रति किमी0 रोड साईड वृक्षारोपण के मानक के अनुसार आंगणित करें।	45.00	556128.00	प्रति	किमी0	25025760.00


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।


प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।